मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड

छठवा तल, लिली ट्रेड विंग, जहांगीराबाद, भोपाल (म.प्र.)

फोन +91 755-2780600, www.tourism.mp.gov.in

क्र. 1102/एमपीटीबी/एडवेंचर/2021 **भोपाल, दिनांक 01/03/2021**

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में साहसिक गतिविधियों को PPP mode में आयोजन किए जाने विषयक

Expression of Interest (EOI)

मध्य प्रदेश में साहसिक एवं जल पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं उक्त गतिविधियों को स्थायी पर्यटन उत्पाद के रूप में स्थापित किया जाना है। इस हेतु मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा विभिन साहसिक एवं जल पर्यटन गतिविधियों को सार्वजनिक - निजी साझेदारी (PPP mode) के माध्यम से विकसित किया जाना है।

इच्छुक एजेंसी/कंपनी/फॉर्म/ऑपरेटर/ व्यक्ति जो निर्धारित पात्रताऐं पूरी करते हो वह अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में आवश्यक सहपत्रो सहित डाक अथवा कोरियर के माध्यम से दिनांक **25/03/2021 समय 03:00 pm**. तक निम्न पते पर भेज सकते है। (पता- अपर प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, 6वॉ तल, लिलि ट्रेड विंग, जहांगीराबाद, भोपाल (म.प्र)- 462008)

EOI की पात्रता/आवेदन प्रारूप/चयन प्रक्रिया/योजना क्रियान्वयन/साहसिक गतिविधियों की सूची/घोषणा पत्र एवं अन्य दस्तावेज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की वेबसाइट www.tourism.mp.gov.in पर प्रदर्शित है। जानकारी हेतु कार्यालय के दूरभाष नंबर 0755-2780636 पर संपर्क किया जा सकता है।

अपर प्रबंध संचालक

मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड

6वॉ तल, लिलि ट्रेडविंग, जहॉगीराबाद, भोपाल-462008 (म.प्र) ।
सम्पर्क नं. 0755-2780636, E-mail-diradventure.mptb@mp.gov.in

Expression of Interest (EOI)

प्रदेश में साहसिक गतिविधियों हेतु सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) के माध्यम से EOI आमंत्रण बावत्।

अनुक्रमणिका

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्रं.
1.	उद्देश्य, परियोजना विवरण, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन चयन प्रक्रिया, नियम व शर्तें, आवेदन के साथ आवश्यक सूचनाऐं एवं संलग्न दस्तावेजों की सूची	01- 03
2.	साहसिक गतिविधियों हेतु निर्धारित क्षेत्र (परिशिष्ट –अ)	04
3.	आवेदन पत्र (परिशिष्ट–ब)	05-06
4.	घोषणा-पत्र	07

मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड

क्रमांक-1102/एमपीटीबी/एडवेंचर/2021 भोपाल, दिनांक 01/03/2021

Expression of Interest (EOI)

प्रदेश में साहसिक गतिविधियों हेतु सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) के माध्यम से EOI आमंत्रण बावत्।

मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में साहसिक गतिविधियों का आयोजन सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) योजनांतर्गत कराया जाना प्रस्तावित है। इन गतिविधियों के आयोजन हेतु इच्छुक एजेन्सी/कम्पनी/ फर्म/ऑपरेटर/व्यक्तियों से Expression of Interest (EOI) आमंत्रित किये जाते हैं, जिन्हें निर्धारित क्षेत्रों में साहसिक गतिविधियों का आयोजन सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) स्वरूप में करना होगा।

उद्देश्य-

साहसिक गतिविधियों के आयोजन से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा नवीन साहसिक पर्यटन गतिविधियॉ एवं पर्यटन उत्पाद स्थापित होंगे तथा कोविड-19 महामारी के पश्चात् गतिविधियॉ पुन: संचालित हो सकेंगी।

1. परियोजना विवरण–

1.1 इच्छुक एजेन्सी/कम्पनी/फर्म/ऑपरेटर/साहसिक गतिविधियों के संचालको को प्रस्तावित क्षेत्रों में प्रस्तावित साहसिक गतिविधियों का आयोजन करना होगा।

1.2 चयनित आवेदक को निर्धारित क्षेत्रों में चयनित गतिविधियॉ संबंधी समस्त आवश्यक अनुमतियॉ, प्राप्त करना होंगी।

1.3 चयनित साहसिक आपरेटर/एजेन्सी/कम्पनी/फर्म को साहसिक गतिविधियों से संबंधित भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय के सुरक्षा मापदण्डों का पालन करना होगा।

1.4 चयनित साहसिक आपरेटर/एजेन्सी/कम्पनी/फर्म को कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा एवं प्रस्तावित SOP, प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करनी होगी।

2. पात्रता –

2.1 आवेदक/फर्म/कम्पनी का 31 मार्च 2020 की स्थिति में विगत 02 वर्ष का सम्मिलित टर्न-ओवर 10.00 लाख अथवा विगत वित्तीय वर्ष का नेटवर्थ 5.00 लाख होना चाहिए।

2.2 संस्था को स्वयं ऑन-लाईन/ऑफ-लाईन मार्केटिंग एवं बुकिंग योजना बनानी होगी।

2.3 आवेदक/फर्म/कम्पनी के पास प्रस्तावित गतिविधि हेतु प्रशिक्षित/अनुभवी मानव संसाधन उपलब्ध होना चाहिये।

2.4 आवेदक/फर्म/कम्पनी का प्रस्तावित स्थल पर प्रस्तावित गतिविधि हेतु अनुभव को वरीयता दी जावेगी।

2.5 आवेदक को भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय से साहसिक गतिविधियों हेतु मान्यता प्राप्त होना वांछनीय होगा।

2.6 साहसिक गतिविधियों संबंधी पंजीकृत संस्था/एसोसिएशन के सदस्य को वरीयता दी जावेगी।

2.7 आवेदक/फर्म/कम्पनी के पास प्रस्तावित गतिविधियों से संबंधित आवश्यक उपकरण (इनवेन्ट्री) होना आवश्यक होगा।

3. आवेदन प्रक्रिया -

3.1 इच्छुक एजेन्सी/कम्पनी/फर्म/ऑपरेटर/साहसिक गतिविधियों के संचालकों को प्रस्तावित गतिविधियाॅ (परिशिष्ट-अ) अनुसार चयन कर निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-ब) में आवेदन करना होगा।

3.2 आवेदन के साथ प्रस्तावित गतिविधि हेतु विस्तृत तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव देना होगा। तकनीकी प्रस्ताव में गतिविधि से संबंधित समस्त एवं आवश्यक विवरण देना होगा, जिसमें प्रस्तावित रूट, मीटिंग पाइंट, पिट स्पॉट, आईटनरी, मानव संसाधन उपलब्धता, ड्रेस, उपकरण, सुरक्षा मानक, पर्यटन महत्व, मार्केटिंग एवं बुकिंग योजना आदि की जानकारी देना होगी।

3.3 आवेदकों को वित्तीय प्रस्ताव में प्रस्तावित गतिविधि की कुल लागत, प्रतिभागिता शुल्क प्रति व्यक्ति तथा कुल लागत में से कितना अनुदान चाहिए की जानकारी देना होगी।

3.4 निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र तथा तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव मय आवश्यक सहपत्रों के निर्धारित तिथि एवं समय पर डाक अथवा कोरियर के माध्यम से निम्न पते पर प्राप्त किये जावेंगे :- पता- प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, 6वॉ तल, लिलि ट्रेडविंग, जहॉगीराबाद, भोपाल-462008 (म.प्र)।

3.5 आवेदक द्वारा लिफाफे पर स्पष्ट अंकित करना होगा : -
''...गतिविधि हेतु आवेदन पत्र''।

4. आवेदन चयन प्रक्रिया-

4.1 अपूर्ण एवं बिना अभिलेख संलग्न किए आवेदनों को स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

4.2 निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को मान्य नहीं किया जावेगा।

4.3 प्राप्त आवेदनों का परीक्षण म.प्र. पर्यटन बोर्ड के प्रबंध संचालक (MD) द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा।

4.4 तकनीकी रूप से योग्य प्रस्तावों को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण करना होगा।

4.5 प्रस्तावों का चयन गतिविधि एवं गतिविधि पर आये व्यय एवं चाहे गये अनुदान के प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम अनुदान के आधार पर होगा।

4.6 एक स्थल पर समान गतिविधि हेतु एकाधिक प्रस्तावों को चयनित किया जा सकता है। वशर्तें वे न्यूनतम अनुदान प्रस्ताव के अनुसार गतिविधि चलाने में सहमत हों।

4.7 प्रस्तुतीकरण उपरांत चयनित प्रस्ताव अनुसार आवेदकों को म.प्र. पर्यटन बोर्ड के साथ अनुबंध किया जावेगा।

5. नियम व शर्तें–

5.1 गतिविधि आयोजन के लागत में म.प्र. पर्यटन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित सहायता (अंश) का निर्धारण का अधिकार म.प्र. पर्यटन बोर्ड को होगा है।

5.2 EOI प्रक्रिया निरस्त/स्थगित करने का पूर्ण अधिकार म.प्र. पर्यटन बोर्ड को होगा। निरस्त/स्थगित की स्थिति में चयनित आवेदक/संस्था द्वारा कोई दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

5.3 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय प्रबंध संचालक म.प्र. पर्यटन बोर्ड का मान्य होगा।

6. आवेदन के साथ आवश्यक सूचनाऐं एवं संलग्न दस्तावेजों की सूची–

इच्छुक आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ साहसिक तथा जल पर्यटन गतिविधियों से संबंधित निम्नांकित दस्तावेज संलग्न करना होंगे।

6.1. आवेदक/फर्म/कम्पनी/एजेन्सी का विगत 02 वर्ष का सम्मिलित टर्नओवर अथवा गत् वर्ष का वित्तीय नेटवर्थ। चार्टर्ड एकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

6.2. आवेदक/फर्म/कम्पनी/एजेन्सी का साहसिक एवं जल पर्यटन गतिविधियों का अनुभव संबंधी प्रमाण।

6.3. आवेदक/फर्म/कम्पनी/एजेन्सी का भारत सरकार/किसी राज्य सरकार से पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि कोई हो) संलग्नक 'अ' में प्रस्ताव अनुसार साहसिक गतिविधियों का अनुभव।

6.4. किसी भी भारत सरकार/किसी राज्य सरकार की सूचीबद्ध एजेन्सियों के साथ कार्य करने का अनुभव।

6.5. फर्म/कम्पनी/एजेन्सी में कार्यरत् स्टाफ का प्रस्तावित गतिविधि संबंधी प्रशिक्षण तथा अनुभव का अभिलेख।

6.6. प्रस्तावित गतिविधियों हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्धता का विवरण ।

6.7. प्रस्तावित गतिविधि की अवधि तथा लागत, प्रतिभागी शुल्क, बुकिंग पोर्टल, वेबसाईट, पब्लिसिटी प्लान का विवरण (सोशल/प्रिंट मीडिया)

परिशिष्ट –अ

साहसिक गतिविधियों हेतु निर्धारित क्षेत्र-

क्रं.	गतिविधि का नाम	जिलों के नाम	रिमार्क
1.	**साईक्लिंग इवेन्ट**	1. औरछा निवाड़ी 2. छिन्दवाड़ा 3. जबलपुर 4. इन्दौर 5. भोपाल 6. ग्वालियर 7. होशंगाबाद	• प्रतिभागियों की संख्या 25 से 30 होना चाहिए • प्रस्तावित जिलों में साइकिल टूर के अंतर्गत अन्य पर्यटन स्थलों को भी सम्मिलित किया जाकर 01 अथवा 02 दिवसीय आईटनरी बनाई जा सकती है। • न्यूनतम 10 किमी. का साइक्लिंग इवेन्ट होना चाहिए। राउन्डट्रिप को प्राथमिकता
2.	**ट्रेकिंग**	1. संग्रामपुर ट्रेक, जिला दमोह 2. तामिया पातालकोट, जिला छिन्दवाड़ा 3. जिला होशंगाबाद के ट्रेक रूट 4. जिला इन्दौर के जानापॉव, पातालपानी, कालाकुण्ड, चौरल इत्यादि ट्रेक 5. जिला भोपाल-सीहोर के ट्रेक 6. जिला सीधी के ट्रेक	• प्रतिभागियों की संख्या 25 से 30 होना चाहिए। न्यूनतम 5 किमी. की ट्रेकिंग रूट होना चाहिए। • प्रस्तावित जिलों के ट्रेकिंग रूट के अंतर्गत अन्य पर्यटन स्थलों को भी सम्मिलित किया जाकर ट्रेकिंग/हाईकिंग आईटनरी बनाई जा सकती है। • प्रस्तावित जिलों के आलावा अन्य प्रचलित ट्रेकिंग रूट पर समिति द्वारा विचार किया जा सकता है। • ट्रेकिंग के दौरान समस्त अनुमतियों का उत्तरदायित्व चयनित संस्था का होगा।
3.	TSD कार रैली	जिला इन्दौर एवं भोपाल आस-पास के पर्यटन स्थल	• न्यूनतम 100 किमी. का रूट होना चाहिए।
4.	**बाईकिंग टूर**	मध्य प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों/राष्ट्रीय उद्धानों/पुरातत्व स्थलों/जलक्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए बाइकिंग रूट के प्रस्ताव आमंत्रित हैं।	• प्रतिभागियों की संख्या 15 से 20 होना चाहिए। न्यूनतम 500 किमी. का बाईकिंग रूट होना चाहिए। • बाइकिंग टूर की अवधि 4-5 दिवस बाईकिंग के दौरान समस्त अनुमतियों का
5.	**वॉटर स्पोर्टस् कार्निवल**	सहस्त्रधारा महेश्वर, कुटनी जिला छतरपुर, बरगी जिला जबलपुर (म.प्र.पर्यटन बोर्ड के अन्य अधिसूचित जलक्षेत्रों में वॉटर स्पोर्टस् कार्निवल के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है)	• 05 दिवसीय आयोजन • प्रत्येक दिवस लगभग 05 विभिन्न प्रकार की जलक्रीड़ा गतिविधियॉ

<u>परिशिष्ट–ब</u>

आवेदन पत्र

क्रमांक .... दिनांक.................

प्रति,

प्रबंध संचालक,
मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड,
लिलि ट्रेडविंग, 6वॉ तल, जहॉगीराबाद,
भोपाल-462008 (म.प्र.)।

विषयः- प्रदेश के ....स्थान पर ....गतिविधि आयोजित करने हेतु EOI

संदर्भः- विज्ञप्ति क्रं. ....दिनांक...................

आदरणीय महोदय,

मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की विज्ञप्ति क्रं. ....दिनांक.................के अनुसार मैं ....स्थान पर ....गतिविधि करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करता हूँ। विवरण निम्नानुसार है :-

1. नाम ....
2. व्यक्ति/संस्था/फर्म/कम्पनी का नाम...
3. संस्था/फर्म/कम्पनी का पंजीयन क्रं. व दिनांक ....
4. पता...
5. दूरभाष नं. ....
6. ई-मेल...
7. व्यक्तिगत/संस्था/फर्म/कम्पनी का 31 मार्च 2020 की स्थिति में पिछले 02 वर्ष का सम्मिलित टर्नओवर राशि रू. ....(CA प्रमाणित अभिलेख संलग्न)
8. व्यक्तिगत/संस्था/फर्म/कम्पनी का 31 मार्च 2020 की स्थिति में पिछले वित्तीय वर्ष का नेटवर्थ (CA प्रमाणित अभिलेख संलग्न)
9. बुकिंग पोर्टल विवरण ....
10. यदि केन्द्र सरकार /किसी राज्य सरकार के पर्यटन विभाग के साथ Empanelment हो तो उसका विवरण ....(अभिलेख संलग्न करें)
11. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के पर्यटन विभाग के साथ यदि कोई कार्य किया हो, तो उसका विवरण...(अभिलेख संलग्न करें)

12.विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित स्थल पर निर्धारित गतिविधि के आयोजन का पूर्व अनुभव ......
(अनुभव के प्रमाण हेतु PNR, आयोजन फोटोग्राफ, आयोजन दिनांक, समाचार पत्र की कटिंग इत्यादि संलग्न किय जावें)।

13.विज्ञप्ति अनुसार आयोजन स्थल का विवरण एवं आयोजित की जाने वाली गतिविधि का विवरण ....(गतिविधि का पूर्ण प्रस्ताव संलग्न करें, जिसमें गतिविधि का रूट, पिट स्पॉट, पूर्ण आईटनरी, प्रतिभागी संख्या, गतिविधि की अवधि, प्रति व्यक्ति प्रतिभागिता शुल्क, कार्यरत् स्टाफ की सूची एवं उनका प्रशिक्षण/अनुभव, उपकरण उपलब्धता, आवश्यक अनुमतियों का विवरण इत्यादि संलग्न हो)

14.गतिविधि आयोजन की प्रस्तावित लागत-

क्रं.	गतिविधि का नाम एवं स्थल	प्रस्तावित लागत (राशि रू.)	प्रस्ताव अनुसार संस्था का अंश (राशि रू.)	प्रस्ताव अनुसार बोर्ड का प्रस्तावित अंश (राशि रू.)

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम.................

संस्था का नाम...................

संस्था की सील...................

घोषणा-पत्र

मैं, श्री ....द्वारा संस्था/फर्म/कम्पनी का नाम.............................. विज्ञापन क्रं. ....के अनुसार ....स्थान पर ....गतिविधि करना चाहते हैं, जिस हेतु हम निम्न प्रकार उद्घोषणा करते हैं कि :-

1. मेरे/हमारे द्वारा आवेदन पत्र/EOI प्रस्ताव में दी गई जानकारी सत्य है एवं यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो उसका उत्तरदायित्व मेरा/हमारा होगा एवं म.प्र.टूरिज्म बोर्ड को आवेदन पत्र निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
2. मैं/हम EOI/विज्ञप्ति के सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करने हेतु सहमत हैं।
3. मैं/हम मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा हमारे प्रस्ताव को बगैर कोई कारण बताये अस्वीकृत करने के अधिकार को स्वीकार करते हैं एवं मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा हमारे प्रस्ताव को यदि अस्वीकृत किया जाता है, तो हम इस हेतु कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं करेंगे।
4. मैं/हम मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा विज्ञापित गतिविधियों को सुरक्षात्मक तरीके से आयोजित करेंगे एवं इस हेतु आने वाली बाधाओं/दुर्घटनाओं का उत्तरदायित्व हमारा होगा।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम...................

संस्था का नाम.....................

संस्था की सील.....................